<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>निगरानी/टीए/2025/6865/कोटपूतली बहरोड़</u>
<u>भैरूलाल कुम्हार बनाम रतनलाल टाक वगैरह</u></th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>11/08/25</td><td>

<u>एकल–पीठ</u>

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

<u>उपस्थिति :–</u>

श्री गिरिश पारीक, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकर्ता।

<u>आदेश</u>

1– पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। गत पेशी दिनांक 29–07–2025 को अधिवक्ता प्रार्थी की बहस हस्तगत निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

2– दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराट नगर जयपुर के समक्ष ग्राम जयसिंहपुरा स्थित साबिक नं. 259 जिसका नया नं. 409 वाके ग्राम बहादुरपुरा के संबंध में राजस्व वाद मय अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सहित पेश किया। योग्य विचारण न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया तथा दिनांक 23–06–2020 को वादी अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर अंतरिम स्थगन जारी कर दिया। दौराने विचारण अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पालना करवाये जाने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24–06–2025 द्वारा स्वीकार कर लिया। प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी याचिका पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का कब्जा काश्त उसके पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है तथा वादी अप्रार्थी का इससे कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी अप्रार्थी उक्त आदेश की आड में मंदिर मूर्ति सीताराम जी के नाम दर्ज भूमि पर काबिज हा जाना चाहता है जबकि मंदिर शाश्वत् नाबालिग है, जिनके हक व अधिकारों की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी बतौर व्यवस्थापक काबिज होकर मंदिर की भूमि की देखभाल करता चला आ रहा है एवं परिवार का जीवन यापन कर रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है जो फैसले की परिभाषा में नहीं आता है। यदि उक्त समस्त कार्यवाही को ताफैसला निगरानी स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका एडमिट की जाकर आदेश दिनांक 24–06–2025 की पालना व प्रभाव ताफैसला निगरानी स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई।

3– प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। आक्षेपित आदेश की प्रकृति एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत निगरानी का उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ग्राह्यता के स्तर पर ही निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2025/6865/कोटपूतली बहरोड़** **भैरूलाल कुम्हार बनाम रतनलाल टाक वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4- उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराट नगर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2020, बउनवान रतनलाल बनाम भैरूराम में पारित आदेश दिनांक 24-06-2025 के विरूद्ध पेश की गई है। आक्षेपित आदेश दिनांक 24-06-2025 के अवलोकन से जाहिर होता है कि योग्य विचारण न्यायालय ने वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार, विराट नगर को प्रकरण की जांच कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता होने की स्थिति में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23-06-2020 की पालना करवाने हेतु तहरीर जारी की गई है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23-06-2020 से अप्रार्थीगण को इस आशय की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है कि वे भूमि ख.नं. 409/0.68 है0 वाके ग्राम बहादुरपुरा तहसील विराट नगर के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करेंगे। प्रार्थी वादी द्वारा उक्त अंतरिम आदेश की पालना करवाये जाने हेतु ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 24-06-2025 से स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24-06-2025 अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 23-06-2020 के अनुसरण में पारित हुआ है। ऐसी स्थिति में जब मूल आदेश जिसके अनुसरण व अनुपालना में आक्षेपित आदेश दिनांक 24-06-2025 पारित हुआ है, उक्त आदेश ही अंतिम प्रकृति का न होकर अंतरिम आदेश है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-230 के तहत् पोषणीय नहीं है। चूंकि मूल अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लंबित है तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से जो आपत्तियां उठाई गई है, उन्हें वह मूल अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण के समय रखने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु प्रार्थी उक्त कार्यवाही नहीं कर सीधे ही निगरानी पेश कर अप्रत्यक्ष तौर पर अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त करवाना चाहता है, जो निगरानी याचिका पोषणीयता के अभाव में सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 5- परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका सारहीन एवं अपोषणीय होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाकर, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 11/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	